राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1688/2017

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.12.2017

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर स्नात्कोत्तर योग्यता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद की पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद की पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जाने के आदेश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 04.12.1990 के द्वारा हुई थी और उसी आदेश के तहत श्री उम्मेद सिंह को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त किया गया था।

अपीलार्थी ने स्नात्कोत्तर योग्यता वर्ष 1994 में प्राप्त की और जिसे अपीलार्थी द्वारा विभाग को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने हेतु पत्र दिनांक 30.07.1998, 22.11.1999 एवं 26.07.2000 के द्वारा सूचित किया गया, परंतु उक्त योग्यता को दर्ज नहीं किया गया। आदेश दिनांक 05.01.2016 के द्वारा अपीलार्थी की उक्त योग्यता को सेवा पुस्तिका में दर्ज किया गया। विलम्ब से दर्ज होने के कारण वर्ष 1991 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय की वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी के नाम पर स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को वर्ष 2010 से पूर्व पदोन्नत कर दिया गया और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 15.07.2016 के द्वारा पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 15.12.2016 को अभ्यावेदन दिया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता को सेवा पुस्तिका में विलम्ब से दर्ज किए जाने के कारण अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर स्नात्कोत्तर योग्यता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद की पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद की पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जाने के आदेश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पदों पर चयन वर्षवार उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठतानुसार पात्रता सूची जारी कर चयन हेतु विचार किया जाता है। सेवा पुस्तिका में दर्ज योग्यता के आधार पर नियमानुसार डीपीसी नहीं की जा सकती। श्री उम्मेद सिंह की संबंधित वरिष्ठता सूची में एम.ए. योग्यता चयन वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के प्रति आयोजित डीपीसी बैठक के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में पूर्व से दर्ज थी। समय पूर्व से दर्ज होने के कारण उनका चयन किया गया और अपीलार्थी की योग्यता का इन्द्राज आदेश दिनांक 29.02.2016 के द्वारा चयन वर्ष 2015–16 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु समय–समय पर आयोजित डीपीसी बैठकों की तिथियों के उपरांत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अस्थाई वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 04.12.1990 के द्वारा हुई थी और उसी आदेश के तहत श्री उम्मेद सिंह को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी द्वारा स्नात्कोत्तर (एम.ए.) योग्यता वर्ष 1994 में अर्जित की, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में समय पर दर्ज नहीं की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा इन्द्राज करने हेतु पत्र दिनांक 30.07.1998, 22.11.1999 एवं 26.07.2000 के द्वारा सूचित किया गया, परंतु उक्त योग्यता को दर्ज नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री उम्मेद सिंह को वर्ष 2010 से पूर्व स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त वर्ष में उक्त पद पर पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दी गई सूचना दिनांक 17.01.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1993–94 में एम.ए. की योग्यता उत्तीर्ण की, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता को सेवा पुस्तिका में अभ्यावेदन देने उपरांत भी इन्द्राज नहीं की गई, जिससे अपीलार्थी को वर्ष 2010 से पूर्व स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 15.07.2016 के द्वारा पदोन्नत किया गया। जबकि कार्मिक श्री उम्मेद सिंह को वर्ष 2010 से पूर्व स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। हमारे मत में अपीलार्थी के द्वारा सेवा पुस्तिका में उक्त योग्यता को इन्द्राज करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने उपरांत भी विभाग द्वारा उक्त योग्यता को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया जाना घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है और इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो सेवा नियमों के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की एम.ए. योग्यता उत्तीर्ण वर्ष को ध्यान में रखते हुए जिस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री उम्मेद सिंह को स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, यदि अपीलार्थी उस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को भी उसी तिथि से पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)